आ॰ अनुभाग

66

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांकः निरी./170/85–86/पार्ट–6/ 51721-820 दिनांक :- 12/1/10

समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।

विषय :– कारागृह सुरक्षा का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

–00–

दिनांक 10.1.10 को प्रातः 4 बजे केन्द्रीय कारागृह, जयपुर से आजीवन कारावास की सजा से दण्डित बंदी राजेश पुत्र रामचरण मौर्य, जिसे लंगर कार्य हेतु अन्य 51 बंदियों के साथ लंगर बैरिक से खोला गया था इन सभी बंदियों को लंगर बैरिक से खाना बनाने के कार्य हेतु लंगर में आना था परंतु दण्डित बंदी राजेश पुत्र रामचरण मौर्य लंगर में न पहुंचकर कारागृह की मैनवॉल के साथ अटैच बंदी मुलाकात कक्ष पर चढ़कर लाइव वायर में अपना अंगोछा बांधकर मैनवॉल से पलायन कर गया।

निरीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आये है कि इन बंदियों को प्रातः जब खोला गया तो इन पर मौजूद प्रहरी, ओपन सी.ओ., लंगर सी.ओ. आदि किसी के द्वारा भी बंदियों की गतिविधियों परं ध्यान नहीं दिया गया, साथ ही सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण अंधेरा होने के बावजूद सुरक्षाकर्मी ने भी अपनी पोस्ट को असुरिक्षत छोड़कर सुरक्षा व्यवस्था में खामी उत्पन्न की, जिसका लाभ उठाते हुए उक्त बंदी पलायन करने में सफल हुआ।

अतः समस्त कारागृह प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी कारागृह भवन का बारीकी से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि कारागृह में कोई ऐसा स्थान तो नहीं है, जिसका लाभ उठाते हुए बंदी पलायन करने में सफल हो सके। यदि ऐसी कोई कमी आपकी जानकारी में आती है तो तुरंत अपने स्तर पर कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना सुनिश्चित करें ताकि उक्त घटना की पुनरावृत्ति न हो साथ ही सर्दी के मौसम में कोहरे व अंधेरें को देखते हुए जेल नियमानुसार प्रातःकाल जेल खोलने के समय की समीक्षा कर जेल की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

इसके साथ–साथ प्रशासनिक व्यवस्था का भी आंकलन करें ताकि उसमें कमी के कारण सुरक्षा में कोई सुराख नहीं रहे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि भवन में सुरक्षा कारणों से आवश्यक परिवर्तन करना उचित समझते हो तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से एस्टीमेट प्राप्त कर मुख्यलाय को प्रेषित करें।

आप द्वारा की गयी कार्यवाही से 4 योम में अवगत करावें।

भवदीय

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर